

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ

स्थान	:-	नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल
दिनांक:-	:-	12-11-2022
पीठ संख्या	:-	07
फौजदारी वाद संख्या/प्रार्थना पत्र संख्या (वाद पत्र के अनुसार)	:-	1018/2022
परिवादी/याचिकाकर्ता/वादी/शिकायतकर्ता	:-	राज्य
अभियुक्त/प्रतिवादी/प्रत्युत्तरदाता	:-	अब्दुल सतर
वाद की प्रकृति	:-	धारा-184-E मोटरयान अधिनियम 1988

उपस्थित

अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ	:-	शम्भू नाथ सिंह सेठवाल
सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ	:-	श्री गुरुविन्दर सिंह (अधिवक्ता)

पंचाट

उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में पुलिस उपाधीक्षक यातायात, जिला- टिहरी गढ़वाल के द्वारा इस आशय की आख्या न्यायालय प्रस्तुत की गयी है कि, उक्त मामले का धारा-200 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत शमन कर दिया गया है और अभियुक्त के द्वारा शमन के बाबत सम्बन्धित अर्थदण्ड धनराशि अदा कर दी गयी है। सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक यातायात, जिला- टिहरी गढ़वाल के द्वारा न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान फौजदारी वाद/चालान को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

ऐसी स्थिति में जबकि सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक यातायात, जिला- टिहरी गढ़वाल के द्वारा वर्तमान फौजदारी वाद/चालान अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम 1988 का मोटर अधिनियम की धारा-200 के प्रावधान अनुसार शमन कर दिया गया है और इस न्यायालय के समक्ष लम्बित वर्तमान फौजदारी वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। वर्तमान फौजदारी वाद धारा-200 मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

हस्ताक्षर सदस्य

हस्ताक्षर अध्यक्ष

(श्री गुरुविन्दर सिंह)
अधिवक्ता/सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत
पीठ संख्या-07

(शम्भू नाथ सिंह सेठवाल)
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल
अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत
पीठ संख्या-07